राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005
ईमेल – dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141–2740538, 2741687
वेबसाईट :– pension.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– निपेंवि/सीपीडीएमसी/2022–23/992 दिनांक :– 07/11/2023

समस्त कोषाधिकारी
राजस्थान।

विषय :– पेंशनर के जीवन प्रमाण पत्र संबंधी कार्यवाही के बाबत्।

महोदय,

राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के अनुसार प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में पेंशनर द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 134 के अन्तर्गत जीवन प्रमाण पत्र के प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी का उल्लेख है। उपर्युक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में पेंशनर द्वारा निम्न माध्यमों के द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है:–

1. ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से (www. pension.rajasthan.gov.in)।
2. ई–मित्र के माध्यम से।
3. बायोमेट्रिक विधि के माध्यम से।
4. पोस्ट आफिस/बैक के माध्यम से।
5. राजस्थान के विभिन्न पेंशन कोषालयों/उपकोषालयों एवं पेंशन कार्यालयों में व्यक्तिगत उपस्थिति के माध्यम से।

अतः पेंशनर के जीवन प्रमाण पत्र के संबंध में आपके स्तर से निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित हैं:–

1. Online Portal (www. pension.rajasthan.gov.in) के माध्यम से पेंशनर द्वारा Upload किए गए जीवन प्रमाण पत्र का System में Updation दैनिक आधार पर करवाया जाना सुनिश्चित करे जिससे पेंशनर को शीघ्र उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए जीवन प्रमाण पत्र का नवीनतम Status प्रदर्शित हो सके।
2. कोष कार्यालयों एवं उप कोष कार्यालयों में पेंशनर द्वारा निर्धारित परिपत्र में नियम 134 में निर्दिष्ट प्राधिकारी से प्रमाणित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी प्रति रिकॉर्ड में सुरक्षित रखी जाए तथा सिस्टम पर भी अविलम्ब Updation किया जाए।
3. बायोमेट्रिक प्रक्रिया द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा सभी ई–मित्र सेवा केन्द्रों, डाकघरों, पेंशन विभाग के सभी कार्यालयों में उपलब्ध है। उक्त बायोमेट्रिक प्रक्रिया द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा कोषालय/उपकोषालय स्तर पर भी उपलब्ध कराने के प्रयास करे जिससे पेंशनर्स सुविधाजनक तरीके से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सके।
4. जीवन प्रमाण पत्र को अद्यतन (Update) किए जाने हेतु पेंशन पोर्टल व अन्य माध्यमों से प्रस्तुत किए जाने वाले तरीको बाबत पेंशनर का सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान करावें।

भवदीय

(डॉ. देवराज)

निदेशक क्रमांक :–एफ.12 (26)/कम्प्यू./आई.एफ.पी.एम.एस./10/ दिनांक :

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर/अजमेर/कोटा/ उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर/जयपुर।

अतिरिक्त निदेशक